न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर (बीकानेर)
पीठासीन अशोक कुमार आर.ए.एस

मु.नं. 138/2019 निर्णय दिनांक 31/03/2022

फूली देवी पत्नी फूलाराम जाति जाट निवासी बीरमसरा
तहसील सरदारशहर जिला चूरु

— वादीनी -

बनाम

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार लूणकरणसर
प्रतिवादी

दावा घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 RTA
एवं धारा 136 LRAct.

निर्णय

दावा वादीनी संक्षेप मे इस प्रकार से है कि वादीनी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88 RTA व धारा 136 LRAct के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि छोटी मौजा नवो देरा तहसील लूणकरणसर के खाता संख्या 34 के खसरा नम्बर 221 तादादी 3.7900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 330 की तादादी 1.9500 हैक्टेयर कुल 5.7400 हैक्टेयर खातेदारी भूमि है। उपरोक्त भूमि वादीनी के कब्जे एवं दखल मे स्थित है। बादगात भूमि वादीनी [illegible] हुआ है जिसमे बैनामा मे सहवन से फूली देवी की जगह गुड्डी देवी दर्ज कर दिया गया क्योंकि वादीनी का घरेलू नाम गुड्डी देवी था जो गलत लिपिकीय भूल [illegible] दुरुस्ती योग्य है। [illegible] फूली देवी पत्नी फूलाराम के [illegible] है तथा फूली देवी पत्नी फूलाराम के नाम से राशन कार्ड आधार-[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.06.20 17:09:48 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वोटर आई.डी आदि समस्त संलग्न करते हुए है। प्रकरण रिकॉर्ड में मूली देवी की जगह लिपिकीय-भूलवश गलती से गुड्डी देवी दर्ज हुआ है जिसे घोषणा के जरिये दुरुस्त करवाकर मूली देवी पत्नी कुमाराम दुरुस्त करने की इस्तदुआ की। दिनांक 27.11.19 को वादीनी ने तहसीलदार महोदय को प्रार्थना पत्र पेश किया। तहसीलदार की द्वारा दुरुस्ती करने से इन्कार है वादीनी ने वाद प्रस्तुत दाखिल किया है। अतः वाद वादीनी स्वीकार फरमाया जाकर रिकॉर्ड में नाम दुरुस्ती की घोषणा करवाई जावे।

वाद दायर रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किये। प्रतिवादी स्टेट की ओर जवाबदावा पेश हुआ/ दौरान राज ने दस्तावेज के आधार पर नाम दुरुस्ती किये जाने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की।

प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया। वादीनी ने वाद के समर्थन में आधार कार्ड, वोटर आई.डी. बैनामा की छायाप्रतियां पेश की। सरपंच ग्राम पंचायत [illegible] की तस्दीक पेश की। स्वयं का शपथ पत्र पेश किया। प्रमाण वादीनी शामिल किये गये।

वादीनी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम बैनामा में कथित गलत दर्ज हुआ है जिसे लिपिकीय भूल नहीं कहा जा सकता। वादीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात शपथ पत्र स्वयं व सरपंच की तस्दीक के आधार पर वादीनी के नाम गुड्डी देवी के स्थान पर मूली देवी पत्नी कुमाराम दुरुस्ती की घोषणा की जाती है। तहसीलदार (राजस्व) कुतकरनाल वादीनी की अर्जी बारे [illegible] खाता नं. 34 के रकबा 221 की 3.7900 व [illegible] 1.9500 हेक्टेयर अर्जी में गुड्डी देवी के स्थान [illegible] को जो नाम गुड्डी देवी बैनामा में दर्ज हुआ मता Stamp Act [illegible] 35 के तहत 500/- रुपये का Non Judicial स्टाम्प शामिल करने के पश्चात दुरुस्ती का अंकन करे। फैसला निर्णय से मुताबिक डिग्री [illegible] जावे। दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok K
Date: 2022.06.20 17:09:48
Reason: SelfAttested